कार्यालयः—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम—उरला, पो — बी0एम0वाय0 चरोदा,जिला—दुर्ग, छ0ग0

क्रमांक/3670 /छगदुमस/प्रशासन/2018 दिनांक— 11/08/2018

।। सुरक्षाकर्मी नियोजन बाबत् निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य डेयरी संयंत्र उरला एवं बिलासपुर शीत केन्द्र में सुरक्षाकर्मी नियोजित किये जानें हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाइटः—www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक

कार्यालयः—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम—उरला, पो — बी0एम0वाय0 चरोदा,जिला—दुर्ग, छ0ग0

क्रमांक/3670 /छगदुमस/प्रशासन/2018 दिनांक— 11/08/2018

// सुरक्षा ठेके हेतु निविदा सूचना //

दुग्ध महासंघ के संयंत्र, उरला, जिला— दुर्ग एवं बिलासपुर में सुरक्षाकर्मी तैनात करने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म रूपये 500/— कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सील बंद लिफाफे में अंकित कर निविदाऐं दिनांक 04/09/2018 को 2:00 बजे तक जमा की जा कर 3:00 बजे खोली जायेगी। निविदाऐं स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है।

प्रबन्ध संचालक

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर

ग्राम–उरला, पो–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र–1

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,
उरला,जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा सुरक्षा ठेका निविदा– **"....."** समाचार पत्र **दिनांक .....** में प्रकाशित की गई है। उपरोक्त के संदर्भ में, मैं निवेदन करता हूं कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित सुरक्षा ठेके की शर्तो के अनुसार सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूं। मैं एतद् द्वारा अमानत की राशि रू. 20,000/ (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ..... जो कि ..... बैंक का है, संलग्न कर रहा हूं अथवा नगद रूपये ..... की रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित कार्यालय में जमा की गई है, संलग्न है ।

मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य के निम्न विवरणानुसार अनुभव है :–

1– नाम व पता .....
.....
.....

2– यदि कोई पार्टनर हो तो .....
उसका नाम एवं पता .....
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है .....
तो पंजीयन प्रमाण पत्र एवं .....
भागीता पत्र की प्रति संलग्न .....
की जाये। यदि पंजीकृत .....
भागीदारी फर्म नही है तो .....
भागीता पत्र की नोटरी से .....
सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न .....
की जाये।

3– पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण .....
संबंधित संस्थान के नाम व पते .....
परफारमेन्स लेटर एवं अनुभव संबंधी.....
प्रमाण पत्र संलग्न करें.

4– वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी .....
आपकी ठेकेदारी में कार्यरत है. .....

5– वर्तमान में जहॉ कार्य कर रहा है .....
उस संस्थान का नाम व पता .....
(समर्थन में वर्क आर्डर की प्रति .....
संलग्न की जावे)

6– सुरक्षा ठेके संबंधी लायसेन्स का .....
विवरण (लायसेन्स के प्रमाण पत्र .....
की छायाप्रति संलग्न की जावे) .....

7– सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. की .....
छायाप्रति संलग्न की जावे। .....

8– इनकम टेक्स, पेन नं. की .....
छायाप्रति संलग्न की जावे। .....

9– वर्तमान में अधिनस्थ सुरक्षा कर्मियों.....
की डब्ल्यू.सी.पालिसी की छायाप्रति.....
संलग्न की जावे। .....

10– भविष्य निधि कोड़ नं. (प्रमाण पत्र .....
की छायाप्रति संलग्न की जावे) .....
.....

दिनांकः

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर

ग्राम– उरला, पो–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र–2

<u>निविदा की सामान्य शर्ते :–</u>

1– निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा।

2– केवल वहीं एजेन्सी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जायेगी जो निम्नानुसार पात्रता रखते हों :–

अ– जिसे औद्योगिक संस्थान में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

ब– जिस एजेन्सी के पास ऐसे दो ठेके पूर्व/वर्तमान में संचालित हो जिसकी कीमत 25.00 लाख रूपये प्रत्येक अथवा एक ठेका 40.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम न हो इसके समर्थन में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

स– एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वर्षो में प्रतिवर्ष न्यूनतम एक करोड़ रूपये होना आवश्यक है, जिसके समर्थन में पिछले 3 वर्षो का (सी.ए. द्वारा प्रमाणित/अंकेक्षित) वित्तीय प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3– बिना अमानत राशि एवं बिना आवश्यक विवरण (जो कि प्रबन्धन द्वारा चाहा गया है) की प्राप्त निविदायें निरस्त मानी जायेगी।

4– निविदायें निर्धारित तिथि एवं समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

5– आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशियेशन कर दर एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को सुरक्षित होगा। निगोशियेशन की तिथि प्रबन्ध संचालक की सुविधानुसार निर्धारित की जायेगी।

6– प्रबन्ध संचालक को किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

7– ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में प्रबन्धन की निर्धारित शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जा सकेगी।

8– ऐसी निविदायें जो सशर्त प्रस्तुत की गई है, को प्रबन्ध संचालक के विवेकानुसार निरस्त माना जायेगा।

9– यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत (EMD) की राशि प्रबन्धन द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

10– निविदा के साथ अमानत की राशि रूपये 20,000/– (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी। अमानत राशि नगद (रायपुर डेयरी में देय) अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही मान्य होगी।

11– ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदायें प्रबन्धन द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि (EMD) निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर ही लौटाई जा सकेगी।

12– निविदाकर्ता को इन्कम टेक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट या आयकर निर्धारण प्रमाण की फोटाकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13– निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि यदि चाहे तो निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से दुग्ध महासंघ में आकर वे वर्तमान सुरक्षा पद्वति एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकते है।

14– प्रबन्धन को यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त कार्य हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों को आबंटित करे ।

15– समस्त निविदायें अथवा किसी भी निविदा को ग्राह्य अथवा अग्राह्य करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार मान्य नही होगा ।

16– निविदाकारों से अपेक्षा है कि वे वर्तमान/अथवा पूर्व में (विगत तीन वर्ष की अवधि) लिए गए सुरक्षा ठेके बाबत विवरण (जहां कार्यरत रहे हों ,एजेन्सी/संस्था के नाम सहित) प्रस्तुत करें।

17– संस्था के नियमानुसार नामीनल मेम्बर बनना अनिवार्य होगा एवं उसके तहत जो भी नामीनल मेम्बर बनने का शुल्क होगा वह देना अनिवार्य होगा ।

18– Solvancy Certificate (Minimum 10 Lack)

19– पूर्व में जो निविदाकार दुग्ध महासंघ में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य कर चुके है एवं इनके कार्यकाल में यदि उनके कार्यकलापों के विरूद्व प्रबन्धन को शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ऐसे निविदाकार की निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी एवं इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

==========

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर

ग्राम–उरला, पो–बी0एम0वाई0चरोदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदाकार द्वारा दी गई दरें

प्रपत्र–3

श्रेणी	छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ द्वारा देय न्यूनतम दरें प्रचलित मिनीमम वेज एक्ट अनुसार	सर्विस चार्ज	अन्य कोई भुगतान	रिमार्क
1– सुरक्षा अधिकारी	कुशल	.....	.....	
2– सुरक्षा पर्यवेक्षक	अर्द्धकुशल	.....	.....	
3– सुरक्षा गार्ड	अकुशल	.....	.....	

नोटः–

1– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर द्वारा उपरोक्तानुसार श्रेणी हेतु शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम दरें ही भुगतान की जावेगी जो रिलीवर पर भी लागू होगी। प्रबन्धन द्वारा इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। **निविदाकर्ता को केवल सर्विस चार्ज/अन्य कोई भुगतान ही अंकित करना है।** भविष्य में न्यूनतम वेतन की दरों में किसी प्रकार की वृद्वि होती है तो प्रबन्धन द्वारा अनुपातिक रूप से दरों में वृद्वि की जावेगी।

2– निविदाकार अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहता है तो रिमार्क कालम में प्रस्तुत करे।

3– निविदाकार द्वारा दरों के अतिरिक्त सर्विस चार्ज व अन्य राशियों को यदि प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उक्त प्रतिशत की राशि का विवरण राशि/रूपये में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

4– सफल निविदाकार को सर्विस टेक्स Minium Wages पर ही देय होगा अन्य पर नही।

5– अनुबन्ध की शर्ते की कंडिका क्रमांक–13 (अ) का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिनांक :

सुरक्षा अनुबन्ध की शर्ते :–

1– शासकीय/अर्द्वशासकीय ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह के लिए इन्ही स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढाई जा सकेगी ।

2– सुरक्षा ठेकेदार/एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के संयंत्र एवं दुग्ध शीत केन्द्रों पर भवन, गोडाउन ,कार्यालयीन सम्पत्ति एवं परिसर की दिन–रात राउण्ड–द–क्लाक सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

3– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार राउण्ड–द–क्लाक की जावेगी एवं संभावित होने वाली चोरी,नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा अविलम्ब प्रशासन शाखा को दी जायेगी। प्रकरण में प्रबन्ध संचालक द्वारा नियुक्त अधिकारी/कमेटी द्वारा प्रकरण की जांच की जायेगी।
जांच उपरान्त प्र ाासन शाखा के उत्तरदायी पाने पर दुग्ध महासंघ को जो क्षति हुई है, उसकी वसूली एजेन्सी के देयक से की जायेगी। केन/क्रेट्स के संबंध में पृथक कंडिका में विवरण प्रदर्शित है।

4– **अ–** छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा डेयरी प्लान्ट एवं शीत केन्द्र में केन/क्रेट्स की चोरी न हो, इस हेतु प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को उत्पादन शाखा ,मार्केटिंग ,स्टोर एवं सुरक्षा अधिकारी इस प्रकार चार व्यक्तियों की कमेटी रहेगी जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को प्लान्ट/शीत केन्द्र में केन/क्रेटस का भौतिक सत्यापन करेगी। इसी प्रकार केन/क्रेट में जो कमी पायी जाती है उस हेतु सुरक्षा एजेन्सी को लिखित में जानकारी दी जायेगी। सुरक्षा एजेन्सी गेट पर रखे सुरक्षा एजेन्सी के रिकार्ड में जांच कर यदि केन/क्रेट्स किसी वाहन ठेकेदार द्वारा रोकी गई है तो उसकी जानकारी देगी अन्यथा केन/क्रेटस/अन्य सामग्री की कमी की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की मानी जावेगी। इस प्रकार अन्य सामग्री की क्षति होती है उसकी वसूली सुरक्षा एजेन्सी के आगामी देयक एवं प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

ब– दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति विशेष रूप से केन/क्रेट्स की चोरी न हो इस हेतु वाहन ठेकेदार के प्लांट में प्रवेश के समय सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा वाहन में लाये जाने वाले खाली/भरे/केन/क्रेट्स/अन्य सामग्री की वाहन की जांच कर गणना की जायेगी जिसकी प्रविष्टि संबंधित रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा कर्मी द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार वाहन प्लान्ट से बाहर जाते समय खाली/भरे क्रेट /क्रेट्स की गिनती कर सुरक्षा कर्मियों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी।

स– इस संबंध में प्रबन्धन द्वारा यदि यह जानकारी मांगी जाती है तो सुरक्षा एजेन्सी गेट पर रखे रिकार्ड की जांच कर प्रबन्धन को प्रस्तुत करेगी।

5– सुरक्षा ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा समस्त प्रकार की सामग्री को बाहर जाने एवं अन्दर आने तथा सभी वाहनों के बाहर जाने एवं अन्दर आने, समस्त व्यक्तियों/कर्मचारियों को अन्दर आने एवं बाहर जाने का रिकार्ड रखा जाएगा एवं आवश्यकता पडने पर प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

6– सुरक्षा एजेन्सी स्वयं के व्यय से अपने अधीनस्थ समस्त सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटैक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी जिसमें सुरक्षा कर्मियों के कार्यकाल अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य होगा ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

7– सुरक्षा एजेन्सी, प्रबन्धन के निर्देशानुसार गनमैन सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जिस हेतु पृथक से निर्धारित दर से भुगतान देय होगा।

8– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर पत्रक रखे जायेंगे जो कि प्रबन्धन या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति सत्यापन हेतु प्रत्येक पाली में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा ताकि ऐसी घटनायें घटित होने पर त्वरितगति से काबू पाया जा सके ।

10– सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि स्टोर, प्लान्ट के अन्दर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेन्सी द्वारा इसकी लिखित सूचना प्रबन्धन को दी जावेगी।

11– सुरक्षा एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निशिद्व व्यक्ति/जानवर परिसर में प्रवेश न कर सके।

12– सुरक्षा एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखे एवं कर्मचारियों बाहरी तत्वों के झगडे इत्यादि को रोके।

13– अ– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मियों की उपस्थिति प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करवाकर, बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कर, देयक 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ सुरक्षा एजेन्सी कर्मियों को बैक के माध्यम से भुगतान किये गये बैंक स्लिप की प्रति, सत्यापित उपस्थिति तथा कर्मियों के वेतन से काटी गई 12 प्रति ात भविष्य निधि रा ि ा की जानकारी के साथ भविष्य निधि कार्यालय में जमा की गई रा ि ा का कर्मचारी वार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु जमा चालान की प्रति ई.एस.आर. फाईल की साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा संस्था में नियोजित सुरक्षा कर्मियों की भविष्य निधि पृथक से जमा करना अनिवार्य है साथ ही देयक के साथ सुरक्षा एजेन्सी द्वारा जमा की गई सर्विस टेक्स चालान की छायाप्रति भी संलग्न करना एवं छायाप्रति का मूल प्रति से सत्यापन करवाना आव यक होगा अन्यथा देयक अपूर्ण माना जायेगा एवं उस पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर भुगतान ठेकेदार को चेक के माध्यम से किया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान अथवा किसी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ि ाकायत प्राप्त होती है तो प्रबन्धन द्वारा उक्त कर्मी को सीधे भुगतान कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार से उक्त रा ि ा की वसूली की जावेगी। इसी प्रकार श्रम नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा निर्धारित औपचारिकातायें पूर्ण न किए जाने की द ा में प्रबन्धन द्वारा स्वयं ई.पी.एफ. कोड़ के माध्यम से उक्त रा ि ा सीधी जमा कर दी जावेगी एवं जिसकी 10 प्रति ात की रा ि ा एजेन्सी के देयक से वसूल से की जावेगी।

ब– ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर भुगतान ठेकेदार को चेक के माध्यम से किया जावेगा।

स– यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान अथवा किसी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रधान नियोक्ता होने के नाते प्रबन्धन द्वारा उक्त कर्मी को सीधे भुगतान कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार से उक्त राशि की बसूली की जावेगी। इसी प्रकार श्रम कानूनों के अन्तर्गत एजेन्सी द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में प्रबन्धन द्वारा प्रधान नियोक्ता होने के नाते स्वयं ई.पी.एफ. कोड़ के माध्यम से उक्त राशि जमा कर दी जावेगी एवं उसकी वसूली एजेन्सी से की जावेगी।

14– दोनो पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में <u>दो माह</u> की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दे एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ले, अथवा विवेकानुसार शास्ती/क्षतिपूर्ति की वसूली कर ले। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

15– सुरक्षा एजेन्सी को गेट नं.–1 पर कार्य हेतु प्रबन्धन उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।

16– ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के कर्मचारियों अथवा उनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कार्य पर नही ले सकेगी।

17– सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबन्धन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर प्रबन्धन द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेन्सी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जाएगा।

18– सुरक्षा एजेन्सी को यह अधिकार होगा कि वह मेनगेट से आने–जाने वाले वाहनों, प्रबन्धन के कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं दुग्ध महासंघ परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती है।

19– सुरक्षा एजेन्सी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नियमानुसार करेगी। ये भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही होगा। यदि सुरक्षा एजेन्सी ऐसा करने में विफल हुई तो उनकी राशि बिल से काटकर प्रबन्धन द्वारा जमा की जा सकेगी। प्रबन्धन पक्ष वेतन एवं अन्य एलाउन्स का भुगतान निर्धारित काउंटर से एजेन्सी प्रतिनिधि के समक्ष कर सकेगा।

20– सुरक्षा एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे– फैक्ट्री एक्ट, संविदा श्रमिक अधिनियम, ई.पी.एफ.एक्ट, ई.एस.आई.सी., वेतन भुगतान अधिनियम एवं संबंधित अधिनियमों का पालन करें। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत प्रबन्धन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि का सुरक्षा एजेन्सी को किये जाने वाले/किये गये भुगतान राशि का समायोजन सुरक्षा एजेन्सी के देयक/प्रतिभूति रा ि ा से कर सके।

21– सुरक्षा एजेन्सी को प्रतिभूति राशि रूपये अंकों में 2,00,000.00 (अक्षरी रूपये दो लाख मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ठेका प्रारंभ करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि एजेन्सी को ठेका समाप्त होने पर, संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, एजेन्सी के कालावधि के दौरान एजेन्सी के कार्यो से संघ को हुई क्षति की वसूली किये जाने के उपरान्त, यदि शेष हो तो एजेन्सी को लौटायी जायेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

22– सुरक्षा एजेन्सी कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हताएं निर्धारित की जाती है :–

अ– सुरक्षा अधिकारी एन.सी.सी., सूबेदार या उनके वरिष्ठ अथवा रिटायर्ड पुलिस एस.आई. अथवा समकक्ष अथवा औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा पर्यवेक्षक का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम एच.एस.एस.सी. पास।

ब– सुरक्षा पर्यवेक्षक औद्योगिक सुरक्षा का पर्यवेक्षक या समकक्ष कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एच.एस.एस.सी. पास।

स–सुरक्षा गार्ड न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास तथा औद्योगिक सुरक्षा कर्मी के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव अथवा प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड। उपरोक्त सभी श्रेणी हेतु एक्स सर्विसमेन को प्राथमिकता दी जावेगी। उक्त सुरक्षा एजेन्सी कर्मचारियों की अर्हताएं के संबंध में शिथिलता बरतने का अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित मर्यादित रायपुर को होगा।

23– सुरक्षा एजेन्सी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेंगे। यदि भाग लेता है तो उसे तत्काल हटाया जाय और प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार भास्ति के रूप मे प्रति कर्मि के हिसाब से रू.500/– अधिरोपित की जावेगी जो की सुरक्षा देयक से कटौत्रा किया जावेगा।

24– प्रबन्धन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों एवं कार्यो का कडाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

25– प्रबन्धन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय–समय पर निर्देश दिया जावेगा जिसका सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।

26– सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्धन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

27– सुरक्षा एजेन्सी को संविदा श्रमिक अधिनियम–1970 के अन्तर्गत श्रम विभाग से लायसेन्स प्राप्त कर प्रबन्धन को प्रस्तुत करना होगा।

28– सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्धन के निर्देशानुसार डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबन्धन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

29– प्रबन्धन किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेन्सी को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नही करावेगा। सुरक्षा एजेन्सी स्वयं लिपिकीय व्यवस्था करेगी।

30– सुरक्षा एजेन्सी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करता है तो प्रबन्धन को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।

31– प्रबन्धन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने ,निरस्त करने एवं नई शर्तो को जोडने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना सुरक्षा एजेन्सी को दी जावेगी।

32– सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मचारियों के लिये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेन्सी को स्वयं ही रखना होगा जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।

33– प्रबन्धन के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबन्धन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा।

34– सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में यदि विफल हुई तो प्रबन्ध स्वविवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेगा।

35– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी कारणवश सुरक्षा कर्मियों को बदला जाता है तो उसकी सूचना प्रबन्धन को तत्काल सूचित किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही नियोजित नये सुरक्षा कर्मी की सूचना भी प्रबन्धन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

36– एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार संख्या में सुरक्षा कर्मी नियोजित किये जाएंगे। प्रबन्धन द्वारा कार्यो का मूल्यांकन न कर स्व–विवेक से संख्या में कटौती/बढ़ोती की जा सकती है।

रायपुर डेयरी प्लान्ट एवं रायपुर डेयरी

सुरक्षा कर्मी का पद	उरला डेरी प्लान्ट	दुग्ध शीत केन्द्र बिलासपुर	प्रबंध संचालक कार्यालय हेतु	दु.शी.केन्द्र धमतरी	दुग्ध शीत केन्द्र सारंगढ़
सुरक्षा अधिकारी	01	–	–	–	–
सुरक्षा पर्यवेक्षक	01	01	–	–	–
सुरक्षा गार्ड	19	04	01	00	00
कुल संख्या	**21**	**05**	**01**	**00**	**00**

37– अ– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्ट में **''राउण्ड–द–क्लाक''** की जायेगी तथा एजेन्सी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जवाबदार रहेगी। एजेन्सी दुग्ध महासंघ परिसर में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश के रोकने, किसी प्रकार की चोरी ,धोखाधडी तथा सम्पत्ति की तोड–फोड से सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि एजेन्सी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना घटित होती है तो संघ को हुई क्षति की वसूली प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी के देयक/प्रतिपूर्ति राशि से की जायेगी।

ब– प्रबन्धन द्वारा दिये गये समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेन्सी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।

स– इसी प्रकार दुग्ध महासंघ/प्लान्ट परिसर में आने–जाने वाले प्रत्येक सामान, वाहन तथा व्यक्तियों की प्रविष्टि एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में रखी जायेगी। रिकार्ड रखने हेतु प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी को उपयुक्त स्थान एवं स्टेशनरी एवं आवश्यकतानुसार बैटरी, सेल इत्यादि प्रदाय की जायेगी एवं एजेन्सी द्वारा रखा जाने वाला रिकार्ड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की सम्पत्ति रहेगी।

द– एजेन्सी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को यूनिफार्म, जूते, रेनकोट इत्यादि आवश्यक रूप से प्रदान की जायेगी जिसका भुगतान एजेन्सी द्वारा ही किया जायेगा।

38– एजेन्सी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अन्तर्गत लाससेन्स प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा एवं एजेन्सी को कान्टेक्ट लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ई.एस.आई.सी., एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। संबंधित श्रम निरीक्षक/फैक्ट्री इंस्पेक्टर/ई.पी.एफ.निरीक्षक/ई.एस.आई.सी. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे गये रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। यदि एजेन्सी इन नियमों के अन्तर्गत के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में प्रधान नियोक्ता के नाते प्रबन्धन द्वारा एजेन्सी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी जिसका एजेन्सी के देयक राशि/प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

39– अ– एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्णतः अनुशासित रहे। एजेन्सी के कर्मचारियों की लापरवाही से दुग्ध महासंघ को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेन्सी से की जायेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में प्रबन्ध द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेन्सी पर की जायेगी। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

ब– एजेन्सी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबन्ध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लगातार लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर प्रबन्धन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए एजेन्सी की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा एजेन्सी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

40– किसी भी सुरक्षा कर्मी द्वारा उपरोक्त शर्तो की किसी कंडिका का उल्लंघन का दोषी पाया गया तो तत्काल संयंत्र परिसर में उसका प्रवेश दुग्ध महासंघ द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा जो एजेन्सी पर बंधनकारी होगा।

41– संयंत्र एवं सम्पूर्ण परिसर में चोरी, उपद्रव, मारपीट, झगडा आदि कार्य किये जाने की दशा में तत्काल प्रबन्धन से सम्पर्क कर पुलिस थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कराना एजेन्सी का दायित्व होगा।

42– एजेन्सी का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न न होने की दशा में, एजेन्सी के कर्मियों के वेतन भुगतान, पी. एफ.संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर प्रबन्धन किसी भी समय बिना कोई नोटिस के ठेका निरस्त कर सकता है एवं इस मद में दुग्ध महासंघ को हुई क्षति की वसूली पूर्ण रूप से अथवा अंशतः एजेन्सी के देयक/अमानत राशि से कर सकता है। इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

43– संयंत्र परिसर मे मंदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य मे लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मि को पारिश्रमिक देय नही होगा तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध रू.1000/– प्रति सुरक्षा कर्मि अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली संघ द्वारा ठेकेदार के देयक मे से की जा सकेगी। दोशी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नही रखा जावेगा।

44– दुग्ध महासंघ परिसर में सुरक्षा कर्मि द्वारा धुम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाखू इत्यादि का उपयोग करते हुए पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के उपर रू.100/– प्रति सुरक्षा कर्मि का दण्ड आरोपित किया जावेगा। सुरक्षा कर्मि द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविश्य में कार्य पर नही लिया जावेगा।

45– यदि ठेकेदार के सुरक्षा कर्मि की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या दुग्ध महासंघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि मे संलग्न पाये जाते है तो प्रबंधन पक्ष द्वारा क्षति की राशि का दो गुणा एवं चोरी की स्थिति मे सामग्री की राशि का 50 गुणा अथदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य मे लिप्त सुरक्षा कर्मि को भविश्य मे कार्य पर नही लिया जा सकेगा।

==========